



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2017/माघ 26, 1938

No. 52]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2017/MAGHA 26, 1938

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

आधार (नामांकन और अद्यतन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017

(2017 का सं. 1)

सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का सं. 1).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 54 की उप-धारा (2) के उप-खंड (आर) तथा उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 2) में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) इन विनियमों को आधार (नामांकन और अद्यतन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 1) कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 20 में संशोधन

- (1) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 20 (जिसे बाद में विनियम 20 के रूप में कहा गया है), के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :—

20 शुल्क लगाना और एकत्रित करना

प्राधिकरण पंजीयकों, नामांकन एजेंसियों और अन्य सेवा प्रदाताओं को निवासियों से शुल्क एकत्रित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। यह राशि अधिनियम के अधीन उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी।

डॉ अजय भूषण पाण्डेय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./422/16]

**THE UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2017

**AADHAAR (ENROLMENT AND UPDATE) (FIRST AMENDMENT)
REGULATIONS, 2017**

(No. 1 of 2017)

No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 1 of 2017).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-clause (r) of sub-section (2) of Section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No. 2 of 2016), namely:—

1. Short title and commencement.—

- (1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) (First Amendment) Regulations, 2017 (No. 1 of 2017).
- (2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 20 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.—

- (1) For Regulation 20 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as the regulation 20), the following regulation shall be substituted, namely:—

20. Levying and collecting Fees

The Authority may authorise Registrars, Enrolling Agencies and other Service Providers to collect a fee from the residents, not exceeding an amount specified by the Authority, for the services provided by them under the Act.

Dr. AJAY BHUSHAN PANDEY, Chief Executive Officer

[ADV.T.-III/4/Exty./422/16]